

(1) दाण्डिक निगरानी क्रमांक: 91/13

न्यायालय:- द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गौहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(समक्ष: श्री पी.सी. आर्य)

दाण्डिक निगरानी क्रमांक: 91/13

संस्थापन दिनांक-08/4/13

शिशिर मेहता पुत्र मालूम सिंह मेहता,

50 साल, निवासी 290 साकेत नगर,

इन्दौर म0प्र0

-----निगरानीकर्ता/आवेदक

वि रू द्ध

1. ए0व्ही0एन0 टयूब्स लिमिटेड, मालनपुर,
परगना गोहद जिला भिण्ड
2. म0प्र0 शासन द्वारा पुलिस थाना मालनपुर,
परगना गोहद जिला भिण्ड

-----प्रतिनिगरानीकतागण/अनावेदकगण

न्यायालय-केशव सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी गौहद
जिला-भिण्ड के प्रकरण क्रमांक-653/2008 ई0फौ0 पुलिस मालनपुर
विरुद्ध शिशिर मेहता में पारित आदेश दिनांक 19/3/13 से उत्पन्न
दाण्डिक निगरानी

—::— आ दे श —::—

(आज दिनांक 07 जून 2014 को पारित किया गया)

01. श्री केशव सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गौहद जिला भिण्ड के न्यायालय के 653/2008 ई0फौ0 पुलिस मालनपुर विरुद्ध शिशिर मेहता में पारित आदेश दिनांक 19/3/13 से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की है । जिसके द्वारा प्रतिनिगरानीकर्ता के आवेदनपत्र को स्वीकार कर परिवादी अरुण कुमार कांकरिया के स्थान पर एन.के. शर्मा को परिवादी के रूप में मान्य किया, जिस आदेश को अपास्त किए जाने हेतु यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है ।

02. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि प्रतिनिगरानीकर्ता कंपनी के कर्मचारी अरुण कुमार कांकरिया रहे हैं एवं एन0के0 शर्मा कर्मचारी हैं ।

03. निगरानीकर्ता का आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है :- कि प्रतिनिगरानीकर्ता क्र.-1 की ओर से एक लिखित रिपोर्ट थाना मालनपुर में की गयी कि 2/12/1994 को 179583 रुपये का माल प्रत्यर्थी क्र0-1 द्वारा निगरानीकर्ता को सप्लाई किया गया, जिसके भुगतानस्वरूप निगरानीकर्ता द्वारा

दिया गया चैक अनादृत होकर वापिस मिला, जिसको थाना मालनपुर के अप0क0-71/95 धारा-420 भा0दं0वि0 व 138 परिक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। पुलिस ने अनुसंधान पश्चात खात्मा रिपोर्ट न्यायालय जेएमएफसी गोहद के न्यायालय में पेश किया जे एम एफ सी न्यायालय द्वारा उसे उन्मोचित किया गया। जिसकी अपील अपर सत्र न्यायालय गोहद में की गयी, जिसपर से प्रकरण पुनः जे एम एफ सी न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया। इसके उपरांत फरियादी अरुण कुमार कांकरिया का धारा 200 द.प्र.सं. के अंतर्गत कथन लिया, एवं धारा-420 भा0दं0वि0 का संज्ञान निगरानीकर्ता के विरुद्ध लिया गया, तत्पश्चात प्रकरण आरोप पूर्व साक्ष्य के लिए नियत रहा।

04. दि.-27/9/08 को प्रति निगरानीकर्ता क्र.-1 की ओर से श्री अरुण कुमार ने अपनी सेवाएं उक्त कंपनी से पृथक कर लिए जाने एवं कंपनी छोड़कर चले जाने से उनके स्थान पर पैरवी हेतु श्री एन0के0 शर्मा मैनेजर को पैरवी करने हेतु अधिकृत किये जाने का निवेदन किया। जिसका जवाब पेशकर निगरानीकर्ता ने व्यक्त करते हुए आवेदन असत्य व अवैधानिक बताते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होने से निरस्त किए जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदनपत्र स्वीकार करते हुए दिनांक-19/3/13 को एन.के. शर्मा को प्रकरण का परिवादी मान्य किये जाने का आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत पारित किया है, दण्ड प्रक्रिया संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक व्यक्ति जिसने परिवादपत्र पेश किया है, वह न मिलने की स्थिति में दूसरा व्यक्ति उस परिवाद का संचालित रख सके। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने में गंभीर भूल की है। निगरानीकर्ता ने अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश को अपास्त करते हुए निगरानी याचिका स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

05. निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निगरानी याचिका में उठाये बिन्दुओं और लिये गये आधारों के अनुरूप तर्क किए हैं। जबकि उत्तरवादीगण की ओर से कहा गया कि विद्वान निम्न न्यायालय का आदेश पूर्णतया उचित है।

06— प्रस्तुत निगरानी याचिका के निराकरण हेतु निम्नलिखित बिंदु विचारणीय है:—

07. विचारणीय यह है कि— “क्या, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 19/3/13 अवैध, अनुचित या औचित्यहीन होकर अपास्त किए जाने योग्य है ?”

—::— निष्कर्ष के आधार —::—

08. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन किया गया, निगरानी कर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर मनन किया । आलोच्य आदेश का अध्ययन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा परिवादी प्रतिनिगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत किए गये आवेदनपत्र को स्वीकार करते हुए आलोच्य आदेश के माध्यम से धारा-249 द0प्र0सं0 के उपबंध को आधारित मानते हुए पूर्व में परिवाद प्रस्तुतकर्ता अरुण कांकरिया के परिवादी कंपनी की सेवा छोड़कर चले जाने से परिवाद को आगे संचालित रखने के लिए उसके स्थान पर एन0के0 शर्मा को परिवादी के रूप में मान्य किए जाने का आदेश प्रसारित किया है, जिसे मूलतः निगरानीकर्ता की ओर से इस आधार पर चुनौती दी गयी है कि सिविल मामले की तरह परिवाद को उत्तराधिकारी संचालित नहीं कर सकते हैं ।

09. अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख के परिशीलन से यह भी विदित है कि परिवाद एबीएन ट्यूब्स लिमिटेड मालनपुर की ओर से तत्कालीन डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर द्वारा धारा-420 भा0दं0वि0 एवं धारा-138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत पेश किया गया था जिसके संबंध में पुलिस रिपोर्ट भी थाना मालनपुर में अप0क0-71/1995 पंजीबद्ध हुई थी जो कि धारा-402 भा0दं0वि0 में संज्ञान में लिया गया है । धारा-420 भा0दं0वि0 का अपराध संज्ञेय अजमानतीय होकर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय सारणी मुताबिक है । जिसमें सात वर्ष तक के कारावास और अर्थदण्ड का प्रावधान है । धारा-320 द0प्र0सं0 की सारणी मुताबिक न्यायालय की अनुमति से शमनीय है । इस तरह से जो कि दो वर्ष से अधिक के कारावास से अधिक दण्डनीय अपराध होने से उक्त अपराध वारण्ट विचारण की श्रेणी में आता है ।

10. अधीनस्थ न्यायालय के अवलोकन से अभी आरोप विरचित नहीं है और आरोप पूर्व साक्ष्य हेतु मामला नियत है । धारा-249 द0प्र0सं0 के उपबंध मुताबिक जब कार्यवाही परिवाद पर से संस्थित की जाती है और मामले की सुनवाई के लिए किसी दिन परिवादी अनुपस्थित है और अपराध का विधि पूर्वक समन किया जा सकता है या वह **संज्ञेय अपराध नहीं है, तब मजिस्ट्रेट**

इसके पूर्व किसी बात के होते हुए भी आरोप के विरचित किए जाने के पूर्व किसी भी समय अभियुक्त को स्वविवेकानुसार उन्मोचित कर सकेगा । चूंकि दर्ज मामला संज्ञेय अपराध की श्रेणी का है । ऐसे में उसके संचालन के लिए जो अनुमति अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गयी है वह अनुचित, अवैध या औचित्यहीन नहीं मानी जा सकती है और विधि में यहां तक कि स्पष्ट किया गया है कि यदि एक बार मजिस्ट्रेट परिवाद को परिवादी की अनुपस्थिति के कारण खारिज कर अभियुक्त को दोषमुक्त भी कर देता है तब पश्चातवर्ती परिवाद किया जा सकता है और वारण्ट विचारण का मामला तो दर्ज होने पर राज्य का प्रकरण भी हो जाता है । ऐसे में उसे जिन आधारों पर निगरानी की गयी उन आधारों पर समाप्त नहीं किया जा सकता है । परिवाद संचालन के संबंध में जो निष्कर्ष अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निकाला गया है उसे विधि विरुद्ध नहीं माना जा सकता है । जहां तक निगरानीकर्ता की ओर से यह बिन्दु उठाया गया है कि एन0के0 शर्मा परिवादी के रूप में साक्ष्य देगा जो नहीं दी जा सकती है, यह अलग बिन्दु है, क्योंकि आलोच्य आदेश में उसकी साक्ष्य के बाबत कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है और यह बिन्दु उचित प्रक्रम पर निगरानीकर्ता उठा सकता है । ऐसी स्थिति में प्रस्तुत की गयी निगरानी में कोई विधिक बल नहीं पाया जाता है ।

11. फलतः बाद विचार प्रस्तुत निगरानी सब्यय निरस्त की जाती है एवं आलोच्य आदेश की पुष्टि की जाती है ।

दिनांक 07/06/2014

आदेश हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में पारित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गौहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गौहद जिला भिण्ड (म0प्र0)